न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी का नाम : नारायण सिंह चारण, (R.A.S)
अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ

प्रकरण संख्या 103/2016 (राजस्व अपील) दायर दिनांक 27.12.2016

गोदू पिता भूरा माली, निवासी भूपालसागर, तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़
..... अपीलांट

बनाम

सरकार जरिये पटवारी हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ
.....रेस्पोडेन्ट

कार्यवाही :– अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसीलदार, भूपालसागर बमिसल नं. 504/2016 निर्णय दिनांक 25.11.2016 को निरस्त कराने हेतु।

उपस्थिति :– अपीलांट की ओर से :– वकील श्री चन्दनमल जणवा
रेस्पोडेन्ट की ओर से :– पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक 24.01.2018

उपरोक्त अनवान प्रकरण पर संक्षिप्त मामला इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का भूपालसागर ने रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि आराजी नम्बर 106 रकबा 0.07 हैक्टर किस्म रास्ता पर अपीलान्ट ने अतिक्रमण कर लिया है। जिससे मौके पर मौजूदा रास्ता संकड़ा हो गया है एवं आम जन के आवागमन में परेशानी हो रही है। जिसे नियमानुसार कार्यवाही की जावें। इस पर न्यायालय तहसीलदार भूपालसागर प्रकरण दर्ज कर अपीलान्ट को सम्मन जारी किया गया। अपीलान्ट दिनांक 25.11.2016 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो अपनी उपस्थिति बाबत् हस्ताक्षर किये तथा जवाब हेतु अवसर चाहा। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मन मकसुद तरीके से बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये पत्रावली को निर्णित करते हुए अपीलान्ट का अतिक्रमण मानते हुए तीन माह के सीविल कारावास व जुर्माना स्वरूप 50 रूपये की शास्ति आरोपित करने का निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी सूचना पत्र पर उपस्थित हो जवाब हेतु अवसर चाहा है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सिविल कारावास व जुर्माने से दण्डित किया गया है जो विधानिक होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली की आदेशिका में कही पर भी पटवारी हल्का के बयान का अंकन नही है फिर भी मन मकसुद तरीके से बिना

अपीलान्ट की जानकारी में पटवारी हल्का के बयान लेकर आनन–फानन में पत्रावली को पूर्ण करते हुए आदेश पारित किया गया जो निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य में प्रस्तुत हुए पटवारी हल्का से अपीलान्ट को जिरह करने का पर्याप्त अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा अतिक्रमण बाबत दस्तावेज ही प्रस्तुत किये है। पूर्व के अतिक्रमण बाबत कोई भी दस्तावेज नही होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय परित कर दिया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2016 को निरस्त फरमाया जावें।

प्रकरण को विधिवत दर्ज किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

प्रकरण पर बहस अपीलान्ट सुनी गई जिसमें अपीलान्ट का कथन है कि तहसीलदार भूपालसागर ने प्रकरण संख्या 504/2016 दर्ज कर दिनांक 25.11.2016 को आदेश दिया। जिसमें पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी संख्या 106 रकबा 0.07 हैक्टर रास्ता होने से अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की है। दिनांक 25.11.2016 को अतिक्रमी की उपस्थिति के हस्ताक्षर करवाये बाद में निर्णय पारित किया गया। राजस्थान भू राजस्थान अधिनियम 1956 की धारा 91 (3) के तहत् तीन माह का कारावास, जुर्माना बेदखली के आदेश दिये गये परन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में कोई अभिलेख अथवा साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये जो कि पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने के संबंध में प्रमाणित होना जरूरी है। केवल पटवारी रिपोर्ट के आधार पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मान लिया गया है। अतः अपील स्वीकार कर रिमाण्ड किया जावें ताकि तहसील स्तर से विधि सम्मत निर्णय बाद सुनवाई के हो सके।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर अतिक्रमी के पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के संबंध में पूर्व में की गई कार्यवाही का उल्लेख अथवा पारित निर्णय इस प्रकरण पर संलग्न नही है तथा न ही स्वतंत्र गवाह के एवं स्वयं अतिक्रमी के बयान पत्रावली पर लिये गये है। जिससे अभिलेख के अभाव में यह साबित नही होता है कि अतिक्रमी पश्चातवर्ती की श्रेणी में आता है तथा तहसीलदार द्वारा भी प्रश्नगत आराजी भूमि का मौका निरीक्षण किया गया हो ऐसा तथ्य भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नही है। जिससे प्रकरण पर ऐसा प्रतीत होता है कि तहसीलदार द्वारा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पूर्ण अवसर

नहीं दिये गये है। अतः उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर तहसीलदार भूपालसागर के निर्णय दिनांक 25.11.2016 को अपास्त किया जाकर तहसीलदार भूपालसागर को इस आदेश के साथ रिमाण्ड (प्रतिप्रेषित) किया जाता है कि प्रकरण पर प्रश्नगत आराजी भूमि के संबंध में तहसीलदार स्वयं मौका निरीक्षण कर तथा अपीलान्ट को अपना पूर्ण पक्ष प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान कर तदनुसार विधिवत निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखवाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त कलेक्टर
(प्रशासन), चित्तौड़गढ़